HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2166/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No.1978/2024

Shaitan Son Of Ghasilal, Aged About 20 Years, Resident Of Yakubganj @ Kalidungariya, Police Station Mehandwas, District Tonk (Raj). (At Present In District Jail, Tonk).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.P

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vikram Singh Chauhan with Mr. Anil Agarwal
For Respondent(s)	:	Mr. Shri Ram Dhakad, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

26/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **शैतान** की ओर से विचारण न्यायालय–**विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, टोंक** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**79/2023, सरकार बनाम नादान एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **01.08.2024** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी को इस प्रकरण में 20 वर्ष के कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है, उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी–अभियुक्त लम्बी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि करीब दो वर्ष आठ माह की हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि गवाहान के कथनों में विरोधाभास है। अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बयान प्रदर्श डी–1 अंतर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 दिनांक 11.08.2023 को, तथा बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 प्रदर्श पी–10 दिनांक 11.08.2023 को एवं विचारण के दौरान उसके बयान पी.डब्ल्यू–2 के रूप में दिनांक 11.01.2024 को हुए हैं, उक्त तीनों बयानों में पीड़िता के कथनों में तात्विक विरोधाभास विद्यमान हैं। विचारण के दौरान पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 04.06.2023 की घटना के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं दी है, पीड़िता ने अपने कथनों में समय–समय पर विस्तार किया है, विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन विश्लेषण नहीं किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

परिवादी पक्ष बावजूद तामील उपस्थित नहीं है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध की गई पीड़िता की धारा 161 एवं 164 द0प्र0सं0 की साक्ष्य एवं विचारण के दौरान लेखबद्ध पीड़िता पी0डब्ल्यू–2 के बयानों एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, अतः पीड़िता के उक्त तीनों बयानों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में

रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **27.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **शैतान पुत्र श्री घासीलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /47